न्यायालय, राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली

पीठासीन अधिकारी : डॉ0 भास्कर बिश्नोई, आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या : 08/2023 **G.C.M.S. No. 2023/19** **दर्ज दिनांक : 15.02.2023**

अपीलार्थी:

1. सुशीलकुमार पुत्र खुमाराम, जाति गर्ग (गरूड़ा), निवासी बिसलपुर, तहसील बाली व जिला पाली।

बनाम

प्रत्यर्थिगण:

1. कन्हैयालाल पुत्र छोगाराम
2. चम्पालाल पुत्र छोगाराम
3. धापूदेवी पत्नि गणेशराम
4. जिगर पुत्र गणेशराम
5. यमुना पुत्र गणेशराम
6. पानी पत्नि छोगाराम
7. महेन्द्र कुमार पुत्र छोगाराम
8. मोहनलाल पुत्र छोगाराम
9. रमेश कुमार पुत्र छोगाराम, जातिगण कुम्हार, निवासीगण भाटुंद, तहसील बाली व जिला पाली।

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध उपखंड अधिकारी बाली द्वारा राजस्व विविध प्रकरण संख्या एफ12 (3) राज/रास्ता/2017 में पारित आदेश दिनांक 19.05.2017 एवं प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 परिसीमा अधिनियम 1963

पैरोकार–

1. श्री हिम्मतसिंह राजपुरोहित, श्री धीरेन्द्रसिंह राजपुरोहित, श्री सुतीक्ष्ण राजपुरोहित, विद्वान अभिभाषक अपीलांट।
2. श्री सुमेरसिंह राजपुरोहित, श्री घनश्यामसिंह राजपुरोहित, विद्वान अभिभाषक रेस्पोंडेन्ट।

निर्णय

दिनांक: 30.10.2025

अपीलान्ट की ओर से जरिये अधिवक्ता यह अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत उपखंड अधिकारी बाली द्वारा राजस्व विविध प्रकरण संख्या एफ12 (3) राज/रास्ता/2017 में पारित आदेश दिनांक 19.05.2017 के विरूद्ध पेश की गई। प्रकरण संक्षेप में निम्नानुसार है–

यह कि अधिनस्थ उपखण्ड अधिकारी बाली के यहां अपीलाण्ट ने एक आवेदन इस आशय का प्रस्तुत किया कि ग्राम भाटुन्द तहसील बाली के खसरा नम्बर 907 एवं 917 किस्म चाही सोयम व बारानी अव्वल की भूमि आयी हुई हैं, जिसमें जाने के लिए नया मार्ग खुलवाने के लिए आवेदन किया और वो रेस्पोंडेण्ट की खातेदारी व कब्जासुदा

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

सरा नम्बर 908 है, जिसमें 20 फुट चौड़ा रास्ता देने के लिए निवेदन किया, जिस पर प्रकरण दर्ज करते हुए आगामी तारीख 19.04.2017 को रेस्पोंडेण्ट को नोटिस जारी किये और तारीख 19.05.2017 को राजस्व लोक अदालत अभियान न्याय आपके द्वारा कैम्प कोर्ट भादुन्द में यह कहते हुए निर्णय पारित कर दिया कि पक्षकारों को सुनने के बाद जाहिर है कि प्रार्थी के नक्शे में दर्शित आसमानी रंग वाले रास्ते का उपयोग किया जा रहा है, इसलिये धारा 251-क के तहत प्रार्थना पत्र के माध्यम से नक्शे में लाल रंग से दर्शित अप्रार्थीगण की खातेदारी से नये रास्ते की मांग प्रार्थी कर रहा है, जो नया रास्ता दिया जाना विधिसम्मत नहीं हैं। यह कहकर आवेदन खारिज कर दिया। भूमिधारी तहसीलदार बाली ने अपनी रिपोर्ट दिनांक 27.04.2017 राजस्व क्रमांक/2017-929 में स्पष्ट लिखा कि खसरा नम्बर 908 रकबा 0.95 हैक्टेयर किस्म जाव सोयम व साही सोयम की खातेदारी भूमि है, आवागमन हेतु इसके अलावा अन्य रास्ते का कोई विकल्प मौजूद नहीं हैं, साथ में यह भी लिखा कि 96*5 अर्थात 480 वर्गमीटर रास्ते के लिए जमीन दी जाना तथा डी.एल.सी. दर 43100/- रूपये प्रतिबीघा है। यह भी लिखा कि रास्ते देने में कोई भी वृक्ष या निर्माण आदि रूकावट नहीं हैं, अन्य कोई भी क्षति नहीं होगी, इसलिये रास्ता दिया जाना उचित प्रतीत होता है और यही बात राजस्व निरीक्षक ने प्रस्तुत की और उन्होनें यहां तक लिखा कि 480 वर्गमीटर भूमि के लिए 1290/- रूपये बनते है, जो रास्ते के लिए भूमि दिये जाने की अनुशंसा के साथ रिपोर्ट भेजी गई थीं और इस तरह रास्ता नहीं देने का अधिनस्थ उपखण्ड अधिकारी के पास कोई विकल्प नहीं था। फिर भी नहीं दिया है, जिस आदेश को निरस्त करना लाजमी है। इसके अतिरिक्त प्रथम तो केम्प कोर्ट में जो पत्रावली रखी थीं, उस पर अपीलाण्ट की मौजूदगी में कोई आदेश पारित नहीं किया और केवल हस्ताक्षर करके भेज दिया और जब भी आदेश करेगें तो बता देंगे और केवल ऑर्डर शीट पर साईन करवाये थें और इसकी विस्तृत जानकारी रेस्पोंडेण्ट द्वारा जब हमें रास्ता देने का आदेश दिया और उसके विरूद्ध अपील संख्या 135/2022 रेस्पोंडेंट संख्या 2 ने पेश की तो सर्वप्रथम पेशी तारीख का नोटिस दिनांक 19.01.2023 के संबंध में मिला और जब पाली अपीलाण्ट उपस्थित हुआ तो सर्वप्रथम ज्ञात हुआ कि इस तरह का आवेदन पूर्व में खारिज कर दिया और इस जानकारी से अपीलाण्ट अपनी उक्त अपील अन्दर म्याद पेश कर रहा है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर जैर अपील आदेश अपास्त फरमावें।

म्याद के बिंदु पर निर्णय सुरक्षित रखते हुए अपील अपीलांट दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोंडेंट व अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली को तलब किया गया।

प्राधिकारी
पाली

प्रकरण में विद्वान अधिवक्ता अपीलांट की बहस सुनी गई तथा बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रकरण का विस्तृत विवेचन निम्नानुसार है:—

1. पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलांट प्रार्थी द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में ग्राम भाटुंद स्थित अपनी खातेदारी आराजी खसरा संख्या 907 व 917 तक पहुंच के लिए रेस्पोंडेंट के विरूद्ध प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 251—क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रस्तुत किया, जिसे विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश दिनांक 19.05.2017 द्वारा प्रार्थना पत्र खारिज किया गया। जिसके विरूद्ध अपीलांट द्वारा हस्तगत अपील दिनांक 01.02.2023 को विलंब के साथ प्रस्तुत की। अपीलांट द्वारा विलंबकाल माफ करने के लिए धारा 5 परिसीमा अधिनियम 1963 का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर मुख्य रूप से यह निवेदन किया कि प्रथम तो केम्प कोर्ट में जो पत्रावली रखी थीं, उस पर अपीलाण्ट की मौजूदगी में कोई आदेश पारित नहीं किया और केवल हस्ताक्षर करके भेज दिया और जब भी आदेश करेगें तो बता देंगे और केवल ऑर्डर शीट पर साईन करवाये थें और इसकी विस्तृत जानकारी रेस्पोंडेण्ट द्वारा जब हमें रास्ता देने का आदेश दिया और उसके विरूद्ध अपील संख्या 135/2022 रेस्पोंडेंट संख्या 2 ने पेश की तो सर्वप्रथम पेशी तारीख का नोटिस दिनांक 19.01.2023 के संबंध में मिला और जब पाली अपीलाण्ट उपस्थित हुआ तो सर्वप्रथम ज्ञात हुआ कि इस तरह का आवेदन पूर्व में खारिज कर दिया और इस जानकारी से अपीलाण्ट अपनी उक्त अपील अन्दर म्याद पेश कर रहा है। अतः विलंबकाल माफ कर अपील अपीलांट अंदर म्याद शुमार फरमावें।

2. रेस्पोंडेंट द्वारा जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर प्रार्थी के कथनों का खण्डन करते हुए निवेदन किया कि अपीलाधीन आदेश अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दोनों पक्षों की उपस्थिति में बाद सुनवाई मैरिट पर पारित किया गया। अपीलांट द्वारा गलत तथ्य दर्ज कर आवेदन पेश किया है। अपीलांट द्वारा जानबूझकर करीब 6 वर्ष बाद अपील पेश की हैं। जो म्याद बाहर है। अपीलांट स्वच्छ हाथों से न्यायालय में नहीं आया है। अतः अपील म्याद बाहर होने से खारिज फरमावें।

3. अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थना पत्र दर्ज होने के पश्चात आगामी तारीख पेशी दिनांक 19.04.2017 नियत की गई तथा अप्रार्थीगण को नोटिस जारी कर आगामी तारीख पेशी दिनांक 31.05.2017 नियत की गई। इसी दरम्यान आदेशिका दिनांक 19.05.2017 के अंकन अनुसार पत्रावली राजस्व ... अदालत न्याय आपके द्वार कैम्प भाटुंद में पत्रावली ...

Scanned with OKEN Scanner

र्थीगण के हस्ताक्षर करवाते हुए प्रार्थना पत्र खारिज किया गया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली की आदेशिका के अंकन अनुसार दिनांक 19.05.2017 को नियत ही नहीं थीं तथा पत्रावली अप्रार्थीगण की नोटिस/जवाब में नियत थीं। लोक अदालत में केवल पक्षकारान की सहमति अथवा राजीनामा के आधार पर ही प्रकरण विचारणार्थ रखे व निर्णित किये जा सकते हैं। प्रकरण में पक्षकारान द्वारा राजीनामा या सहमति निष्पादन बाबत कोई उल्लेख, अंकन या दस्तावेज पत्रावली पर नहीं हैं। अतः स्पष्ट है कि विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा विधिक प्रावधानों व प्रक्रियाओं के विपरीत अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है। यह सही है कि प्रकरण में लगभग 6 वर्ष का विलंब निहित है। रेस्पोंडेंट की आपत्ति इस बिंदु पर है कि अधीनस्थ न्यायालय की आदेशिका पर अपीलांट के हस्ताक्षर है। अतः अपीलांट की उपस्थिति में आदेश पारित किया गया है। हमारे विनम्र मत में प्रथम तो चूंकि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश ही विधिविरूद्ध है तथा ऐसे आदेश के विरूद्ध कभी भी अपील की जा सकती हैं। साथ ही अधीनस्थ न्यायालय की आदेशिका पर अपीलांट के हस्ताक्षर होने का तात्पर्य यह नहीं हैं कि अपीलांट व उपस्थिति में व अपीलांट की सहमति से अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है। गांव में लोक अदालत कैम्प आयोजन के दौरान काश्तकारों का कैम्प में उपस्थित होना तथा पत्रावली पर अंकित हस्ताक्षर आदि करवाना आम बात है। लेकिन महत्वपूर्ण यह है कि विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश में यह अंकित नहीं किया है कि पक्षकारान की सहमति से/असहमति से उक्त आदेश पारित किया गया या पक्षकारान के हस्ताक्षर क्यों करवाए गए, के संबंध में कोई खुलासा अंकित नहीं किया गया है। अतः हस्ताक्षर महज इसका प्रमाण है कि पक्षकार अमूक दिवस को उपस्थित हुआ। ग्रामीण परिवेश के काश्तकारों से लोक अदालत में अनुमत कार्यों, न्यायालय की कठोर, तकनीकी प्रक्रिया एवं म्याद आदि के संबंध में विद्वता की अपेक्षा नहीं की जा सकती तथा प्राकृतिक न्याय का यह सामान्य सिद्धांत है कि प्रक्रिया किसी भी दृष्टि से सार बिंदु पर प्रभावी नहीं होनी चाहिए तथा प्रकरण का निर्णयन कठोर, तकनीकी, प्रक्रियात्मक आधार पर नहीं किया जाकर गुणावगुण के आधार पर होना चाहिए। जिसके लिए उभयपक्षकारान को सुना जाना प्रथम शर्त है। विलंब कारित होने में अपीलांट्स की लापरवाही व उदासीनता प्रमाणित नहीं हैं। बल्कि विलंब सद्भाविक व युक्तियुक्त कारणों से हुआ है। अतः प्रकरण में उदार रूख अपनाते हुए प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर विलंबकाल माफ करते हुए अपील अपीलांट अंदर म्याद शुमार की जाती हैं।

राजस्व अपील प्राधिकारी

Scanned with OKEN Scanner

पत्रावली के अवलोकन व पूर्व विवेचन से स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण की तामील से पूर्व ही तहसीलदार से मौका रिपोर्ट तलब करते हुए पत्रावली दिनांक 19.04.2017 को नियत की गई। दिनांक 19.04.2017 को अप्रार्थीगण को नोटिस जारी कर पत्रावली दिनांक 31.'05.2017 को नियत की गई तथा नियत तिथि से पूर्व दिनांक 19.05.2017 को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पत्रावली विचारणार्थ राजस्व लोक अदालत अभियान कैम्प भादुंद में पत्रावली लेकर पक्षकारान द्वारा किसी प्रकार का राजीनामा अथवा सहमति निष्पादन नहीं होने के बावजूद तथा प्रकरण में अप्रार्थीगण का जवाब प्राप्त किए बिना तथा जवाब प्रस्तुत करने का अवसर दिए बिना अपीलाधीन आदेश द्वारा प्रार्थना पत्र खारिज किया गया। जबकि प्रकरण में भू.अ.नि. व तहसीलदार द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में प्रेषित रिपोर्ट अनुसार प्रकरण में खसरा संख्या 908 में से रास्ता स्वीकृत किया जाना प्रस्तावित किया गया तथा प्रार्थी अपीलांट की आराजी खसरा संख्या 907 तक पहुंच के लिए रास्ते का अभाव होना अंकित किया है। लेकिन विचारण न्यायालय द्वारा स्पीकिंग आदेश किए बिना तथा प्रकरण का संगत विधिक प्रावधानों के परिप्रेक्ष्य में विवेचन किए बिना तथा अपने विनिश्चय का कारण प्रकट किए बिना अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है। जो किसी भी दृष्टि से समर्थन योग्य नहीं हैं।

5. माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा आर.सी.आर. सिविल 2006 (4) पेज 947 में विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 की धारा 20 के अंतर्गत लोक अदालत के द्वारा मुकदमों के निस्तारण की शक्तियों के संबंध में निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया है– "No Order can be passed by Lok Adalat if no compromised or settlement of could at between Parties." इस प्रकार यह सुविस्थापित प्रावधान है कि पक्षकारों के मध्य बिना सहमति हुए एवं बिना राजीनामा हुए किसी भी प्रकरण को न तो लोक अदालत में रखा जा सकता है एवं न ही लोक अदालत में निर्णित किया जा सकता है, ऐसा किया जाना पक्षकारों के मध्य न्यायिक जबरदस्ती की श्रेणी में आता है, जिसका किसी भी दृष्टि में समर्थन नहीं किया जा सकता है।

6. अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर हमारे विनम्र मत में अपील अपीलांट बखूबी साबित होने व अपीलाधीन आदेश त्रुटिपूर्ण व दूषित होने से पुष्टि योग्य नहीं होने से अपील अपीलांट स्वीकार करते हुए अपीलाधीन आदेश अपास्त किया जाकर प्रकरण विधिनुरूप पुनः निर्णयन के निर्देश के साथ अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाना पूर्णतया विधिसम्मत व उचित होगा।

राजस्व अपील अधिकारी

Scanned with OKEN Scanner

आदेश

अतः निष्कर्षतः अपील अपीलांट अंतर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बखूबी साबित होने व सारवान होने से स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय उपखंड अधिकारी बाली द्वारा राजस्व विविध प्रकरण संख्या एफ12 (3) राज/रास्ता/2017 में पारित आदेश दिनांक 19.05.2017 को अपास्त करते हुए प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि प्रकरण में अप्रार्थीगण को जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने का अवसर देते हुए धारा 251–क एवं नियम 69 में विहित प्रावधानों तथा इस संबंध में माननीय राजस्व मण्डल अजमेर द्वारा प्रदत्त निर्देशों की अनुपालना करते हुए तथा प्रार्थी की आराजी तक पहुंच के लिए सभी संभव विकल्प प्रस्तावित करवाते हुए प्रकरण में पुनः विस्तृत जांच प्रतिवेदन प्राप्त कर उभयपक्षकारान को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए प्रकरण में पहुंच मार्ग के लिए निकटतम दूरी के विकल्प का पूर्ण परीक्षण व जांच करते हुए प्रकरण विधिनुरूप पुनः निर्णित करें। उभयपक्षकारान को जरिये अधिवक्तागण पाबंद किया जाता है कि वे दिनांक 01.12.2025 को असालतन/वकालतन उपखंड अधिकारी बाली में उपस्थित रहें। निर्णय की प्रमाणित प्रतिलिपि के साथ अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख लौटाया जावें। पत्रावली इसी मुताबिक निर्णित की जाकर बाद तकमील संख्या से एक कम होकर दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक **30.10.2025** को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर सर–ए–इजलास सुनाया गया।

(डॉ0 भास्कर बिश्नोई)
राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली

Scanned with OKEN Scanner